कार्य मंत्रणा समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

बारहवां प्रतिवेदन

(03.02.2020 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 को बैठक हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए समय के नियतन जैसा प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, की सिफारिश की है:—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।	12 घंटे
(2) वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा।	12 घंटे
(3) भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 दिसंबर, 2019 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 (2019 का सं॰ 16) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक प्रस्ताव पर चर्चा तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। *(सीमा पार दिवाला पर एक अध्याय को सम्मिलित करने के लिए।)*	3 घंटे
(4) भारत के राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 2020 को प्रख्यापित खनिज विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का सं॰ 1) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक प्रस्ताव पर चर्चा तथा खनिज विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। *[एमएम(डीआर) अधिनियम, 1957 और सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए।]*	3 घंटे

नई दिल्ली;
31 जनवरी, 2020
11 माघ, 1941 (शक)

ओम बिरला
सभापति,
कार्य मंत्रणा समिति।

MGIPMRND—5082LS(S3)—03-02-2020.